फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती सरजू बनाम श्रीमती उषा (कोरा)

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 169 सन् 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-9-20	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 9-10-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
9-10-20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] रखने से पत्रावली दिनांक 27/10/20 को पेश हो।	
27/10/20	उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27/11/20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
17-11-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-12-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
15-12-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, अप्रार्थीगण 01 लगायत 03, 7, 8 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थिया अप्रार्थी सं० 04 लगायत 06 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये [illegible] आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थिया [illegible]	दि. 6-4-21 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.12.17 16:57:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

।, माण्ड

दायर दि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5-9-	पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर अन्तर से कम हो।
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

बनाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.12.17 16:57:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मा संख्या – 169/20 प्रा०पत्र

ीमती सरजू पत्नि श्री सोहन लाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी बोड़ास खेड़ा

हाल निवासी संजय कॉलोनी भीलवाड़ा त० व जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमती उषा पत्नि श्री गौरीशंकर जीनगर निवासी 63-A-2 सुभाषनगर भीलवाड़ा त०व जिला भीलवाडा (रा.) [illegible]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 15.12.20

::आदेश::

ार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलाई खेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके ाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3187 कुल किता 01 रकबा 0.4 ीघा 05 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.09.20 को पंजोबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बलाई खेड़ा .... पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3187 कुल किता 01 रकबा 0.4 बीघा 05 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल 300/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.12.17 16:57:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner